गुरमुख सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

हेमंत गुप्ता और जोरा सिंह न्यायमूर्ति के समक्ष ।

गुरमुख सिंह और एक अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - उत्तरदाता

2009 के सीडब्ल्यूपी 12465 में

2009 का एलपीए नंबर 1322

8 जनवरी, 2009

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - पूर्वी पंजाब होल्डिंग (चकबंदी और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1948 - धारा 18 और 23-ए - पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 - धारा 2 (जी) - पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) नियम, 1964 - नियम 3 (2) - एससी के परिवारों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को भूखंडों के आवंटन के लिए राज्य योजनाएं तैयार करना - इसके लिए चुनौती - ऐसी भूमि पंचायत के पास निहित है। चूंकि ग्राम पंचायत भूमि की मालिक है, इसलिए इसका उपयोग 1961 अधिनियम की धारा 5-ए के अनुसार भूखंडों के आवंटन के लिए किया जा सकता है, जिसे 1964 के नियमों के नियम 3 के उप नियम (2) के खंड (xxv) के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें शामलात देह भूमि के उपयोग के उद्देश्य के रूप में "आवासीय" प्रदान किया जाता है।अपील ख़ारिज

अभिनिर्धारित किया गया है कि यह उप-खंड (6) 1992 के हरियाणा अधिनियम संख्या 9 द्वारा धारा 2 (जी) पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 में डाला गया था। पूर्वी पंजाब होल्डिंग (समेकन और विखंडन निवारण) अधिनियम, 1948 की धारा 18 के तहत एक गांव के सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि, 1948 अधिनियम की धारा 23-ए के तहत ग्राम पंचायत में निहित प्रबंधन और नियंत्रण को शामलात देह माना जाता था। (पैरा 11)

इसके अलावा, जमाबंदी के अनुसार, ग्राम पंचायत वाद भूमि के मालिक के रूप में परिलक्षित होती है और वन विभाग उसी के कब्जे में है। चूंकि ग्राम पंचायत वाद

भूमि की मालिक है, इसलिए इसका उपयोग अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों को धारा 5-ए के संदर्भ में भूखंड आवंटित करने के लिए किया जा सकता है। 2007 के हरियाणा अधिनियम संख्या 8 के तहत नियमों के नियम 3 के उप नियम (2) के खंड (xxv) के साथ पढ़ा गया है, जिसमें शामलात देह भूमि के उपयोग के उद्देश्य के रूप में "आवासीय" प्रावधान किया गया है। (पैरा 15)

अपीलकर्ताओं की ओर से विक्रम सिंह, एडवोकेट।

निर्णय

<u>हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ति</u>

(1) वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील में चुनौती यह है कि

इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 16-11-2009 को पारित आदेश जिसमें राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं का एक समूह दिनांक 1-2-2008 को अनुलग्नक पी-3 में सूचित किया गया था, जिसमें 100 वर्ग गज के आवंटन की योजना तैयार की गई थी।अनुसूचित जातियों के परिवारों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को दिए गए भूखंडों को खारिज कर दिया गया।

(2) यह अपीलकर्ताओं का मामला है कि आरोप तय करते समय पूर्वी पंजाब होल्डिंग (समेकन और विखंडन निवारण) अधिनियम, 1948 (संक्षेप में "अधिनियम") के तहत योजना, यहां अपीलकर्ताओं सहित मालिकों के स्वामित्व वाली भूमि का कुछ हिस्सा योजना में शामिल किया गया था और ग्राम पंचायत के सामान्य उद्देश्यों जैसे स्कूल, श्मशान घाट, औषधालय आदि के लिए आरक्षित किया गया था। चूंकि भूमि को मालिकों की होल्डिंग्स में कटौती लागू करके सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित किया गया है, इसलिए राज्य योजना में निर्दिष्ट सामान्य उद्देश्यों को छोड़कर किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकता है। यह दलील दी गई थी कि अधिनियम के तहत, स्वामित्व भूमि मालिकों में निहित है और आक्षेपित कार्रवाई द्वारा, मुआवजे का भुगतान किए बिना अपीलकर्ताओं की संपत्ति छीन ली गई है। इसलिए, इस तरह का निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 31-ए का उल्लंघन है।.

(3)यह देखा जा सकता है कि गांवों में समेकन सामान्य प्रयोजनों के लिए भूमि आरक्षित करना वर्ष 1954 में हुआ था और सामान्य प्रयोजनों के लिए भूमि आरक्षित करने की

योजना को कोई चुनौती नहीं है। एकमात्र चुनौती अनुलग्नक पी-3 नीति गत अनुलग्नक पी-3 की है जिसके अंतर्गत चकबंदी योजना में सामान्य प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है।

(4) विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया अपीलकर्ताओं द्वारा कई अन्य याचिकाओं के साथ दायर किया गया था जब यह देखा गया कि ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया है और भूखंडों के आवंटन के लिए निवासियों की सूची राज्य सरकार को भेज दी है। एडवोकेट जनरल ने एकल न्यायाधीश के समक्ष एक बयान दिया है कि भूखंडों के आवंटन के लिए केवल पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 (संक्षेप में "1961 अधिनियम") में परिभाषित शामलात देह की भूमि का उपयोग किया जाएगा। यह भी देखा गया कि शामलात देह का कम से कम 25% गांव के निवासियों की भविष्य की सामान्य जरूरतों के लिए आरक्षित होगा।

(5) विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि आशंका अपीलकर्ताओं का कहना है कि योजना के कार्यान्वयन के साथ, सामान्य भूमि में अपीलकर्ताओं के मालिकाना अधिकार छीन लिए जाएंगे, यह तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 1961 के अधिनियम के तहत शामलात देह में परिभाषित भूमि का उपयोग अकेले योजना के तहत किया जाएगा। अदालत ने 1961 के अधिनियम की धारा 5-ए पर विचार किया, जो ग्राम पंचायत को अनुसूचित जातियों के सदस्यों और पिछड़े वर्ग को ऐसे नियमों और शर्तों पर शामलात देह भूमि उपहार में देने, बेचने, विनिमय करने और पट्टे पर देने का अधिकार देता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) रूल्स, 1964 (संक्षेप में "नियम"), उस सामान्य उद्देश्य का भी वर्णन करता है जिसके लिए भूमि का उपयोग किया जा सकता है। इसमें राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन आवासीय उद्देश्य शामिल है। यह भी माना गया कि सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि 1992 के हरियाणा अधिनियम 9 द्वारा 1961 अधिनियम की धारा 2 (जी) में शामिल उप-खंड (6) के मद्देनजर ग्राम पंचायत के पास निहित है। एकल न्यायाधीश ने शीश राम बनाम हरियाणा राज्य, एआईआर 2000 एससी 2148 के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत में निहित भूमि का उपयोग नियमों में निर्दिष्ट किसी एक या अधिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और जरूरी नहीं कि जिस उद्देश्य के लिए इसे समेकन योजना में आरक्षित

किया गया था। इस तरह के निष्कर्ष के साथ, अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था।

(6) अपीलकर्ताओं के वकील ने जोरदार तरीके से कहा है तर्क दिया गया कि सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि अपीलकर्ताओं जैसे मालिकों के स्वामित्व वाली भूमि से बाहर थी। अधिनियम की धारा 23-क के मद्देनजर ऐसी भूमि का प्रबंधन अकेले ग्राम पंचायत में निहित है। यह तर्क दिया जाता है कि एक विशिष्ट सामान्य उद्देश्य के लिए आरक्षित भूमि का उपयोग किसी अन्य सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। यह तर्क दिया गया है कि योजना में ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि करने के लिए भूमि का आरक्षण भगत राम और अन्य बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1967 एससी 927 मामले में टिकाऊ नहीं पाया गया है। , । इसलिए, अनुसूचित जातियों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को ऐसी भूमि का आवंटन अवैध है। अपीलकर्ताओं को उनकी संपत्ति से वंचित किया जा रहा है और वह भी बिना किसी मुआवजे के भुगतान के। इसलिए, संपत्ति में अधिकार से इस तरह का वंचित होना भारत के संविधान के अनुच्छेद 31-ए का उल्लंघन करता है।

(7) अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1967 एससी 856, सुप्रीम कोर्ट को भारत के संविधान के अनुच्छेद 31-ए के दूसरे परंतुक के दायरे के बारे में बताया गया था। ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) नियम, 1949 (संक्षेप में "नियम 1949") के नियम 16 (ii) पर विचार करते समय, यह माना गया था कि सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि संबंधित संपत्ति या सम्पदा के स्वामित्व निकाय में निहित है, जिसका प्रबंधन पंचायत द्वारा किया जाएगा। यह माना गया था कि ऐसी भूमि का स्वामित्व मालिकाना निकाय में निहित है और भूमि का प्रबंधन पंचायत द्वारा मालिकाना निकाय की ओर से किया जाता है। यह निम्नलिखित प्रभाव के लिए आयोजित किया गया था: -

> “ यह ध्यान दिया जाएगा कि शीर्षक अभी भी मालिकाना निकाय में निहित है, भूमि का प्रबंधन मालिकाना निकाय की ओर से किया जाता है, और भूमि का उपयोग संबंधित संपत्ति या सम्पदा की सामान्य जरूरतों और लाभों के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक मालिक की भूमि का एक अंश लिया जाता है और एक सामान्य पूल में बनाया जाता है ताकि पूरे का उपयोग ऊपर उल्लिखित संपत्ति की सामान्य जरूरतों

> और लाभों के लिए किया जा सके। मालिक स्वाभाविक रूप से दूसरों के साथ लाभों में भी हिस्सा लेंगे।
>
> xx xx xx
>
> दूसरे शब्दों में, एक मालिक को ऐसे फायदे मिलते हैं जो वह योजना से अलग कभी नहीं मिल सकता था। उदाहरण के लिए, अगर वह थ्रेशिंग फर्श, खाद का गड्ढा, चरागाह के लिए जमीन, खल आदि चाहते थे, तो वह सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित अपनी भूमि के अंश पर उन्हें रखने में सक्षम नहीं होते।

(8) योजना पर विचार करने के बाद, यह माना गया कि अधिकारों के संशोधन का लाभार्थी राज्य नहीं है, और इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 31-ए के अर्थ के भीतर राज्य द्वारा कोई अधिग्रहण नहीं किया गया है।

(9) भगत राम (ऊपर) के मामले में सुप्रीम कोर्ट अजीत सिंह (ऊपर)के मामले में उसी दिन दिए गए फैसले ने योजना के उस हिस्से को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा भूमि केवल पंचायत की आय के लिए आरक्षित की गई थी यानी 100 कनाल 2 मरला। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 31-ए के दूसरे परंतुक के विपरीत पाया गया। इस योजना को उस सीमा तक संशोधित करने का निर्देश दिया गया था।

(10) अपीलकर्ताओं द्वारा यह विवादित नहीं है कि भूमि गांव के सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित की गई थी और वर्ष 1954 में चकबंदी के दौरान प्रो-राटा कट लगाने के बाद ग्राम पंचायत को मालिक के रूप में दर्ज किया गया है। रिट याचिका से संबंधित उद्धरण निम्नानुसार है: –

> "गांव का समेकन वर्ष 1954 में हुआ, गांव के मालिकों की भूमि पर प्रो राटा कट लगाया गया और भूमि को गांव के सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित किया गया जो अंततः प्रतिवादी ग्राम पंचायत के नाम पर आता है।

(11) उप-खंड (6) 1961 अधिनियम की धारा 2 (जी) में डाला गया था 1992 के हरियाणा अधिनियम संख्या 9 द्वारा। अधिनियम की धारा 18 के तहत गांव के सामान्य उद्देश्यों के

लिए आरक्षित भूमि, अधिनियम की धारा 23-ए के तहत ग्राम पंचायत में निहित प्रबंधन और नियंत्रण को शामलात देह माना गया था। जय सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2003 (2) पीएलआर 658 के रूप में रिपोर्ट किए गए फैसले में इस तरह के संशोधन की वैधता इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष विचार के लिए आई थी। रिट याचिकाकर्ताओं का तर्क यह था कि सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि अप्रयुक्त रही है और ऐसी बचत भूमि मालिकों के पास होगी। पूर्ण पीठ ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

> "45. धारा 18 (सी) के तहत सामान्य प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि, जो सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित क्षेत्रों के लिए धारा 14 के तहत बनाई गई योजना का हिस्सा बन सकती है, सरकार या ग्राम पंचायत के पास निहित है, जैसा भी मामला हो, और मालिकों के पास योजना के तहत सामान्य उद्देश्यों के लिए ऐसी भूमि में कोई अधिकार या हित नहीं बचा है। अधिनियम या नियमों या तैयार की जाने वाली योजना में ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है कि मालिक केवल उस भूमि के संबंध में अधिकार खो देंगे जिसे वास्तव में किसी भी उपयोग के लिए रखा गया था, न कि उस भूमि के संबंध में जिसे बाद में सामान्य उपयोग के लिए रखा जा सकता है। निर्णय के पहले भाग में हमारे द्वारा संदर्भित किसी भी धारा या नियम में, इस बात का जरा सा भी आभास नहीं है कि इस योजना में केवल ऐसी भूमि की परिकल्पना की गई है जिसका उपयोग किया गया है। इसके अलावा, सभी प्रासंगिक धाराओं और नियमों में, उल्लिखित शब्द 'आरक्षित या असाइन' हैं। इस संबंध में संदर्भ धारा 18 की उप-धारा (3) और धारा 23-क को दिया जा सकता है। क़ानून के प्रावधान, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस प्रकार, इस बात को और मजबूत करेगा कि संदर्भ सामान्य उपयोग के लिए आरक्षित या सौंपी गई भूमि के बारे में है, चाहे उसका उपयोग किया गया हो या नहीं।
>
> 47. हरियाणा के एडवोकेट जनरल की यह दलील कि धारा 18 (सी) के तहत सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित या निर्धारित भूमि से संबंधित नियम 16 (ii) में ऐसी सभी भूमि शामिल होंगी जो सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली योजना का हिस्सा हैं, राज्य या पंचायत के पास निहित होंगी, इस तर्क को मानना होगा।

48. तथापि, जिन भूमियों का योगदान मालिकों द्वारा आनुपातिक आधार पर किया गया हो, लेकिन बचत भूमि के रूप में जानी जाने वाली योजना में सामान्य प्रयोजनों के लिए आरक्षित या निर्धारित नहीं की गई हो, यह भी उतना ही सच है, न तो राज्य और न ही ग्राम पंचायत के पास निहित होगी और इसके बजाय गांव के मालिकों के स्वामित्व में उसी अनुपात में बनी रहेगी जिस अनुपात में उन्होंने उनके स्वामित्व वाली भूमि का योगदान दिया था।. 1948 के अधिनियम की धारा 22 में निहित प्रावधानों के मद्देनजर बचत भूमि, जिसका उपयोग योजना के तहत सामान्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता है, को जुमला मुस्तरका मलकान वा दिगर हकदरन हसाब रसाद अराजी खेवट के रूप में दर्ज किया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण अंतर यह है कि स्वामित्व के कॉलम में मालिकों को उस भूमि के विपरीत कब्जे में दिखाया गया है जो ग्राम पंचायत के पास निहित है, जिसे किसी न किसी उद्देश्य जो की योजना के अनुसार है उसके लिए उपयोग किया जा रहा है।

(12) ऊपर दिए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए, भूमि सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित है यह साबित हुआ। इसे बचत भूमि नहीं कहा जा सकता है, जिसके संबंध में, अपीलकर्ता भूमि में ब्याज का दावा कर सकते हैं। जय सिंह के मामले में ऐसी भूमि पंचायत के पास है, जब यह निम्नलिखित प्रभाव से आयोजित की जाती है:

" 62. ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि:-

1 पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 की धारा 2 (जी) की उपधारा (6) और उसमें संलग्न स्पष्टीकरण, उक्त अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों की व्याख्या है, जिसे ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1948 में निहित प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है;

2 1961 के अधिनियम के असंशोधित प्रावधान और विशेष रूप से, धारा 2 (जी) (1) को 1948 के अधिनियम की धारा 18 और 23-ए और 1949 के नियमों के नियम 16 (ii) के साथ पढ़ा जाता है, जो विशेष रूप से नियम 5 और 7 के साथ धारा 14 के तहत तैयार की गई

समेकन योजना में निर्धारित की गई हैं और धारा 20 के तहत पुष्टि की गई है। जिसे धारा 24 के प्रावधानों के तहत लागू किया गया है और कोई अन्य भूमि नहीं;

3 जिन भूमियों को मालिकों द्वारा चकबंदी कार्यवाही के दौरान लगाई गई उनकी होल्डिंग्स में आनुपातिक कटौती के आधार पर अंशदान किया गया है और जिन्हें नियम 5 और 7 के साथ पढ़ी गई धारा 14 के तहत तैयार की गई चकबंदी योजना में किसी सामान्य उद्देश्य के लिए निर्धारित नहीं किया गया है और स्वामित्व के कॉलम में जुमला मुस्तारका मलकान वा दिगार हकदरन हसाब रासाद अराजी खेवट के रूप में दर्ज किया गया है और मालिकों के पास कब्जे के कॉलम में दर्ज किया गया है, ग्राम पंचायत या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, को धारा 2(छ) की उप-धारा (6) और उसमें संलग्न स्पष्टीकरण या 1961 के अधिनियम या 1948 के अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों के अधीन नहीं करेगा;

4 ऐसी सभी भूमि, जो चकबंदी योजना के अनुसार, सामान्य प्रयोजनों के लिए आरक्षित की गई हैं, चाहे उपयोग की गई हों या नहीं, राज्य सरकार या ग्राम पंचायत के पास निहित होंगी, जैसा भी मामला हो, भले ही स्वामित्व के कॉलम में प्रविष्टियां जुमला मस्तरका मलकान वा दिगार हकदरन हसब रसाद अराजी खेवट आदि हों।

(13) इसलिए, इसके तहत, जो निर्णय अपील में है इसमें कोई त्रुटि नहीं है जब यह माना जाता है कि ऐसी भूमि ग्राम पंचायत के पास है जो चकबंदी के दौरान सामान्य उद्देश्य के लिए आरक्षित है।

(14) तर्क के संबंध में, कि आम भूमि का उद्देश्य बदला नहीं जा सकता में सुप्रीम कोर्ट द्वारा शीश राम (ऊपर) के मामले में निपटा जा चुका है ।यह माना गया था कि पंचायत में निहित भूमि का उपयोग नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट किसी भी

एक या अधिक पापूस के लिए किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिशम्बर दयाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 1986 पीएलजे 208 में इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले और खुशी पुरी बनाम हरियाणा मामले हरियाणा राज्य, 1978 पीएलजे 78 में डिवीजन बेंच के फैसले को मंजूरी दे दी। यह आयोजित किया गया था

> “5. बिशम्बर दयाल के मामले (ऊपर) में अदालत की पूर्ण पीठ ने खुशी पुरी के मामले में डिवीजन बेंच द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर विचार किया था और उसे मंजूरी दी थी। इस संबंध में न्यायालय ने कहा था:
>
> "अधिनियम और नियम ग्राम पंचायत को नियम 3 (2) में दिए गए किसी भी एक या अधिक उद्देश्यों के लिए सड़क के एक हिस्से को परिवर्तित करने का अधिकार देते हैं। इस न्यायालय की एक खंडपीठ के पास खुशी पुरी के मामले (ऊपर) में अधिनियम की धारा 2 (जी) (4), 4 और 5 और उसके तहत बनाए गए नियमों के नियम 3 (2) के प्रावधानों का निर्माण करने का अवसर था। यह माना गया था कि ग्राम पंचायत नियम 3 (2) में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से इसमें निहित शमिलात देह भूमि का उपयोग कर सकती है। उस मामले में चरंड भूमि का एक हिस्सा जो मवेशियों को चराने के लिए इस्तेमाल किया गया था, वन विभाग को पेड़ लगाने के लिए सौंपा गया था, जो ग्राम पंचायत की संपत्ति थी। ग्राम पंचायत की इस कार्रवाई को खंडपीठ ने सही ठहराया था। याचिकाकर्ता के वकील श्री बंसल ने हमारे समक्ष कोई विवाद नहीं उठाया है कि खुशी पुरी का मामला (सुप्रा) सही कानून निर्धारित नहीं करता है या इसके अनुपात पर एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है। हम खुशी पुरी के मामले (ऊपर) के अनुपात से सम्मानजनक रूप से सहमत हैं।
>
> 6. हम अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील की इस दलील से सहमत नहीं हैं कि बिसंबर दयाल के मामले में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने खुशी पुरी के मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण से अलग

दृष्टिकोण अपनाया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने लगातार माना है कि ग्राम पंचायत में निहित भूमि का उपयोग उपनियम (2) या नियम 3 में निर्दिष्ट उद्देश्यों में से किसी एक या अधिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। हमें उच्च न्यायालय से असहमत होने का कोई कारण नहीं दिखता है और वास्तव में खुशी पुरी के मामले में उसके द्वारा तय कानून की स्थिति को मंजूरी देते हैं, जिसे बिशम्बर दयाल के मामले में पूर्ण पीठ ने बरकरार रखा था।

(15) जमाबंदी के अनुसार, रिट के साथ संलग्न अनुबंध पी - याचिका, ग्राम पंचायत को मुकदमे का मालिक माना जाता है और वन विभाग उसी के कब्जे में है। चूंकि ग्राम पंचायत वाद भूमि की मालिक है, इसलिए इसका उपयोग 1961 के अधिनियम की धारा 5-ए के संदर्भ में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों को भूखंड आवंटित करने के लिए किया जा सकता है। 2007, नियमों के नियम 3 के उप नियम (2) के खंड (xxv) के साथ पढ़ा गया, जिसमें शामलात देह भूमि के उपयोग के उद्देश्य में से एक के रूप में "आवासीय" प्रदान किया गया।

(16) इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम यह नहीं पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई त्रुटि है जो इंट्रा कोर्ट क्षेत्राधिकार में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।

(17)खारिज कर दिया।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

ओमेश

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी